भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1444
दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा-पार से गोलाबारी

1444. श्री जुगल किशोरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों जो अक्सर सीमा-पार की गोलाबारी से प्रभावित होते हैं और जिन्हें पलायन का सामना करना पड़ता है के पुनर्वास हेतु कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, जो सीमा-पार गोलीबारी से प्रभावित हैं और विस्थापन का सामना कर रहे हैं, के पुनर्वास से संबंधित विषय पर संबंधित राज्य सरकारें कार्रवाई करती हैं। इस संबंध में तैयार की गई नीतियों और उठाए गए कदमों के ब्यौरे संबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों की राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं। तथापि, गृह मंत्रालय आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के सामान्य पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके माध्यम से मुआवजा प्रदान किया जाता है।